FORM No. III

APP-A
crim-I

फ़र्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बून्दी

रणवीर सिंह बनाम लोकेश मेवाड़ा

किस्म मुकदमा 109 / प्रा. पत्र / 17 नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस्त हुक्म की तामील में जारी हुए
8.12.17	वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी की एक प्रार्थना पत्र पेश हुआ। कार्यवाही के संबंध में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं अधिपत्य की कृषि भूमि खाता सं. 207 ख. सं. 209 रकबा 13 बिस्वा वाके ग्राम कुंवारती में स्थित है प्रार्थी का ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है तथा निरन्तर भूमि का उपयोग उपभोग प्रार्थी ही करता चला आ रहा है दिनांक 27.11.17 को प्रार्थी अपनी भूमि पर गया तो देखा कि अप्रार्थी सं. 1 ने कृषि भूमि पर एक पक्की दुकान का निर्माण लगभग पूर्ण करवालिया तथा प्रार्थी की भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य करवा रहा है प्रार्थी ने शीघ्र थाना सदर में जाकर एक तहरीरी रिपोर्ट अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध दी लेकिन अप्रार्थी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है प्रार्थी के खाते एवं अधिपत्य की कृषि भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है जबकि प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह अप्रार्थी सं. 1 को जरिये इस्तगासा फौजदारी से पाबन्द करावे।	

Sd/-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जंज	नम्बर व तारीख अ[illegible] काम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19-4-23	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी साहब कार्यवश बाहर दौरे मे [illegible] है/ [illegible] है/ अभिभाषकगण [illegible] साबिक [illegible] हेतु दिनांक 18-5-23 को पेश हो।	
18-5-23	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी साहब कार्यवश बाहर दौरे मे [illegible] है/ [illegible] है/ अभिभाषकगण [illegible] साबिक [illegible] हेतु दिनांक 16-6-23 को पेश हो।	
16-6-23	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी साहब कार्यवश बाहर दौरे मे [illegible] है/ [illegible] है/ अभिभाषकगण [illegible] साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 18-7-23 को पेश हो।	
18-7-23	मुकदमा उप० वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलबाना नोटिस पेश किया पत्रावली दि० 5-9-23 को पेश हो।	
5-9-23	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व प्रार्थी अनु०। वकील प्रार्थी व प्रार्थी को 5 बजे तक रुक-रुक कर आवाज दिलवाई गई फिर भी उप० नहीं हुये अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है पत्रावली कैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।	